IN THE COURT OF

Addl. District Judge Court No. 2

AT, Unnao

(Presided Over by Dr. Satyawan Singh)

UPUN010014022024

Criminal Misc. Cases 67/2024

1. सीमा रावत उम्र 24 वर्ष पुत्री कैलाश निवासिनी ग्राम हिन्दूखेडा थाना अजगैन जिला उन्नाव।

.....प्रार्थिनी/वादिनी

बनाम

1- मनीष लोध उम्र 27 वर्ष पुत्र राजेन्द्र लोध

2- अमित लोध उम्र 25 वर्ष पुत्र कमलेश लोध

3- संदीप लोध उम्र 26 वर्ष पुत्र प्रताप लोध

निवासीगण-ग्राम हिन्दूखेडा थाना अजगैन जिला उन्नाव। **..... अभियुक्तगण**

दिनांक- 10.05.2024

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी ग्राम हिन्दूखेडा थाना अजगैन जिला उन्नाव की निवासिनी है तथा अनुसूचित जाति की पासी है। प्रार्थिनी के घर के बगल में मनीष लोध पुत्र राजेन्द्र लोध व अमित लोध पुत्र कमलेश लोध व संदीप लोध पुत्र प्रताप लोध रहते है जो काफी जुआरी व शराबी किस्म के व्यक्ति है उपरोक्त लोग अपने दरवाजे पर गैर कानूनी तरीके से जुआं खिलवाते है और उस जुओं के चक्कर में आस पास के कई गाँव के लोग जुआँ खेलने के लिए एकत्र होते है। चूँकि जुआं खेलते समय लोग भांति भांति से नशा करते है आस पास की लडकियो को बहू बेटियाँ पर अश्लील फब्तियों कसते है और उपरोक्त लोगो से जुयें की आड़ में पुलिस भी हिस्सा लेती है इस कारण पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करती है। घटना दिनॉक 7-1-2024 की समय लगभग सवा आठ बजे शाम की है उपरोक्त मनीष लोध के दरवाजे जुआं हो रहा था प्रार्थिनी अपने किसी कार्य से बाहर निकली तो उपरोक्त लोगो को जुआँ खेलने से मना किया। जिस पर मनीष, अमित व मंगतीष्म तथा जुआँ खेल रहे अज्ञात लोगो ने प्रार्थिनी के साथ जाति सूचक शब्दो का इस्तेमाल कर अभद्रता करना शुरू कर दी प्रार्थिनी के शोर मचाने पर प्रार्थिनी को मारा पीटा प्रार्थिनी ने पुलिस से शिकायत की कोई सुनवाई नही की। इसके पश्चात उपरोक्त लोगो के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गये और दिनाँक 24-1-2024 को समय करीब 4 बजे शाम प्रार्थिनी जब अपने गाँव के बाजार से वापस आ रही थी तो इन लोगो ने प्रार्थिनी को रोककर काफी भला बुरा कहा और कहा कि साली पासिन हमें मौज मस्ती करने और जुआं खेलने से रोकने को

कोशिश की तो तेरा वो हाल करेंगें कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नही रह जाये। इस घटना की शिकायत थाने पर की गयी परंतु अभियुक्तगणो के प्रभाव में कोई कार्यवाही नही हुई इससे भी अभियुक्त के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गये। घटना दिनाँक 4-2-2024 की समय 4 बजे शाम की है प्रार्थिनी अपनी छोटी बहन शिवानी के साथ नवाबगंज बाजार से वापस हो रही थी तभी मनीष, संदीप अमित व 2 अन्य लडको ने प्रार्थिनी व उसकी बहन को रोक लिया और कहने लगे कि साली पासिन बहुत शिकायत करने वाली बनती है आज तुझको देख लेगें। इतना कहकर प्रार्थिनी व उसकी बहन को जबरदस्ती पकडकर झाडियो के पीछे खींचने की कोशिश की तथा उसके कपडे फाड़ दिए तथा उसके नाजुक अंगो में इधर उधर हाथ लगाने लगे प्रार्थिनी के शोर करने पर राहगीरो के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग यह धमकी देते हुए चले गए कि अगर आंइदा हम लोगो को जुआं खिलवाने से रोका या पुलिस में कोई शिकायत की तुम्हारा व तुम्हारे परिवार को वह हाल करेगें कि गाँव में नहीं रह पाओगी। प्रार्थिनी उसी दिन अपने पिता के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी पुलिस ने रिपोर्ट नही लिखी बल्कि उसके पिता को थाने जाने पर जबरदस्ती बिठा लिया और यह धमकी दी कि अगर तुम कही कार्यवाही करने की कोशिश करोगी तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को फर्जी जुकदमें में फंसाकर जेल भिजवा देगें। प्रार्थिनी घटना की रिपोर्ट करने थाने गयी उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी तब एक प्रार्थना पत्र दिनॉक 13-02-2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को दिया जब उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुयी तब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी को दे रही है। मुल्जिमानो/अभियुक्तगणो ने संज्ञेय अपराध कारित किया है जिसका मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना अति आवश्यक है। अतएव श्रीमान जी से निवेदन है कि थानाध्यक्ष अजगैन को उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्क प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना अजगैन से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना का कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs Stte of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा 156 (3) दं.प्र.सं के

प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2001 ए.एल.जे. पेज 1587 इलाहाबाद फुल बेंच में मा. उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि धारा 156 (3) दं.प्र.सं के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय विश्वसनीयता को परखते हुये न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये मापदण्डों के अनुरूप ही आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156 (3) दं.प्र.सं के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी-बनाम- स्टेट आफ यू.पी. 2008 सी.आर.एल.जे. पेज 472,** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रार्थना पत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है। उपरोक्त विधि वस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 07.01.2024 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की है जिसमें उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की छोटी बहन को जाति सूचक गंदी गंदी गालियां देने तथा उनके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दं.प्र.सं दिनांक ..... को पेश हो।

दि. 10.05.2024

(डां. सत्यवान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।